भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1691

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रमुख शैक्षिक संकेतक

†1691. श्री अरुण भारती:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए साक्षरता दर, बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर, उच्च शिक्षा में नामांकन दर और शैक्षणिक प्रदर्शन सहित प्रमुख शैक्षिक संकेतक कौन-कौन से हैं;
(ख) बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) देश में कितने एकलव्य मॉडल विद्यालय और सरकार द्वारा संचालित अन्य आवासीय विद्यालय चल रहे हैं और उनकी कितने छात्रों को समायोजित करने की क्षमता है;
(घ) राज्य में छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या कितनी है;
(ङ.) छात्रों के प्रभावी सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(च) क्या सरकार की राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कोचिंग सेंटर, डिजिटल शिक्षा संसाधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना है; और
(छ) क्या सरकार द्वारा बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए कोई नीतियां बनाई जा रही हैं और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(**क**): यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए प्रमुख शैक्षिक संकेतक इस प्रकार हैं:-

1. साक्षरता दर
    - अनुसूचित जाति सहित बिहार की साक्षरता दर (आयु 7 वर्ष और उससे अधिक) 74.3% है।
2. स्कूल छोड़ने की दर
    - प्राथमिक स्तर: 10.5%
    - उच्च प्राथमिक स्तर: 27.7%
    - माध्यमिक स्तर: 26.1%
3. सकल नामांकन दर (जीईआर)

- प्राथमिक शिक्षा: 97.1%
- उच्च प्राथमिक: 79.1%,
- माध्यमिक: 50.4%
- उच्चतर माध्यमिक: 32%
- उच्चतर शिक्षा: 16.4% (एआईएसएचई रिपोर्ट 2021-22)

4. शैक्षणिक प्रदर्शन
    - माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने दर (2023, बिहार बोर्ड): 71.9%
    - उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण करने की दर (2023, बिहार बोर्ड): 79.9%

(**ख**): बिहार में 595 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में 30,050 अनुसूचित जाति (एससी) की छात्राएं नामांकित हैं, 15 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास में 911 एससी छात्राएं नामांकित हैं तथा 39 जवाहर नवोदय विद्यालय (जनवि) में 3,764 एससी छात्राएं नामांकित हैं।

(**ग**): जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 फरवरी 2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 476 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनसे लगभग 1.37 लाख छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यूडाइज़+ 2023-24 के अनुसार अन्य आवासीय विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार है:

	आवासीय विद्यालयों का प्रकार	**पूर्णतः आवासीय विद्यालयों की संख्या**	**पूर्णतः आवासीय विद्यालयों में कुल नामांकन**
भारत	आश्रम (सरकारी)	6,882	12,37,216
	गैर-आश्रम (सरकारी)	3,270	8,30,983
	केजीबीवी	2,449	4,30,725
	मॉडल स्कूल	719	1,61,852
	जनवि	653	2,89,155
	अन्य	1,418	2,18,047

(घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि वे आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष नौवीं कक्षा के चयनित विद्यार्थियों को एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और उन्हें राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा में जारी रखने/नवीनीकृत करने का प्रावधान किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपये प्रति वर्ष है। वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 2373 और 2477 है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार राज्य में पोस्ट-मैट्रिक योजना से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की

संख्या क्रमशः 136340 और 68975 है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार राज्य में प्री-मैट्रिक योजना से लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की संख्या क्रमशः 132127 और 146660 है।

(ङ) से (छ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020 (**एनईपी **2020)** का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर न खो दे। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति**,** अनुसूचित जाति**,** अनुसूचित जनजाति**,** ओबीसी**,** अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य पहुँच**,** भागीदारी और अधिगम के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र और राज्य सरकारें छात्रों के प्रभावी सुधार के लिए प्रयास करती हैं, जिसमें अनुसूचित जाति सहित वंचित समुदायों के छात्र भी शामिल हैं। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। समग्र शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ जोड़ा गया है जिसका उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक सोच को पोषित करना और सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक कौशल को एकीकृत करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए स्वयं, दीक्षा और पीएम-ईविद्या जैसी डिजिटल शिक्षा पहलों को लागू किया जा रहा है। समग्र शिक्षा योजना का व्यावसायिक शिक्षा घटक कौशल-आधारित शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करता है, जिससे अनुसूचित जातियों सहित छात्रों को रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित किया जाता है। बिहार में, व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत 173 स्कूलों को अनुमोदन दिया गया है, जिससे 3,200 छात्रों को करियर की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके लाभ हुआ है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त विभाग अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन करता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के उम्मीदवारों को यूपीएससी, एसपीएससी, आईआईटी-जेईई आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत कोचिंग पैनल में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती है। तथापि, बिहार राज्य के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अभी तक इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में उच्चतर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रों को पारंपरिक पीजी/यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय भुगतान किए जाने वाले शुल्क से छूट दी जाती है, उन्हें विशेष छात्रावासों में आवास प्रदान किया जाता है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आदि के तहत कवर किया जाता है।

*****